फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

गुलाबचन्द बनाम सरकार वगै0

पत्र संख्या : 18/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28.07.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम राम्यावाला, पटवार हल्का राम्यावाला, तहसील आंधी जिला जयपुर में प्रार्थी की पुस्तेनी आराजी खसरा नम्बर 240/2 स्थित है। जो राजस्व नक्शा मे तरमीम शुदा खातेदारी दर्ज रही है। जिसके हाल खसरा नम्बर 317 रकबा 4.5900है0 का नक्शा कायम करते वक्त नक्शा तरमीम गत खसरा नम्बर 240/2 से भिन्न कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि का नक्शा करीब डेढ बीघा कम तरमीम कर दिया है। हाल खसरा नम्बर 317 की नक्शा तरमीम हाल खसरा नम्बर 213 की सीमाओं मे कर दिया जो कि गलत है तथा हाल खसरा नम्बर 213 गैरमुमकिन नला है। हाल सैटलमेंट के दरमियान गत खसरा नम्बर 240/2 के अनुरूप नक्शा कायम नही कर मनमर्जी से नक्शा कायम हाल खसरा नम्बर 317 का किया गया है जो नक्शा पूर्व नक्शें से व मौका स्थिति से मिलान नही करता है। इसलिए हाल खसरा नम्बर की तरमीम मौके पर प्रार्थी के कब्जे अनुरूप व पूर्व नक्शा से मिलान कर हाल नक्शा खसरा नम्बर 317, 213 को दुरूस्त किया जाकर पूर्व नक्शें अनुसार तरमीम दुरूस्त की जावें। पैरोकार सरकार (तहसीलदर आंधी) ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादांकित भूमि खसरा नम्बर 240/2 (भूमि एकीकरण) खातेदारी भूमि दर्ज थी जिसका नवीन सैटलमेंट अनुसार हाल खसरा नम्बर 317 रकबा 4.59है0 बना था। साबिक खसरा नम्बर 240/2 से नवीन खसरा नम्बर 317 का नक्शा कायम करते वक्त तरमीम को छोटा होना बताया है। साबिक खसरा नम्बर 240 का भूमि एकीकरण संवत 2018 मे एक ही खसरा था जबकि लठठा नक्शा में 240/1, 240/2 खसरे की तरमीम हो रखी है। साबिक नक्शा में खसरा नम्बर 240/2 की रकबा बरारी करने पर पूर्व के नक्शें में भी रकबा कम पाया गया था। जबकि हाल नवीन नक्शें में खसरा नम्बर 317 का पूर्व नक्शें अनुसार ही रकबा पाया गया। वर्तमान नक्शें अनुसार खसरा नम्बर 317 का विभाजन हो चुका हैं। बंटवारा बाद खसरा नम्बर 317 के कुल 16 नये खसरे बने है। जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन हो रखा है। अतः वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनने व बहस का मनन करने व तथा पैरोकार रिपोर्ट का व पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में हाल खसरा नम्बर 317 को साबिक खसरा नम्बर 240/2 अनुसार दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है। लेकिन मुताबिक रिपोर्ट एकीकरण संवत 2018 में साबिक खसरा नम्बर 240 एक ही था जिसके दो खसरा नम्बर 240/1, 240/2 बने है। साबिक नक्शें में खसरा नम्बर 240/2 पूर्व नक्शें में भी रकबा कम था। जबकि हाल खसरा नम्बर 317 पूर्व नक्शे अनुसार सही पाया गया है तथा हाल खसरा नम्बर 317 का विभाजन होकर कुल 16 नये	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

खसरे बन चुके है। जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन हो रखा है। अतः ऐसी स्थिति में पाम राजस्व न्यायालय में लंबित हाल खसरा नम्बर 317 के नक्शे को दुरुस्त नही किया जा सकता है। क्योंकि खसरा नम्बर 317 का हाल नक्शा पूर्व सांबिक नक्शे अनुसार सही है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित नही समझते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर